

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (गेहूँ) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल एवं रोहतक जिलों में अनुदान पर हस्त चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान, किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 28-02-2019 तक कर सकते हैं।

1. जिलावार हस्त चालित स्प्रे पम्प(कृषि यन्त्र एवंम औजार) के वितरण के लक्ष्य निम्न प्रकार है :-

District wise physical and financial target of Manual Sprayer for other farmers (Rs. 500/Unit or 40% of cost whichever is less under NFSM –Wheat 2018-19.			
Sr.no	Distt	Physical Target (In Nos.)	Financial Target (in Rs. Lakhs)
1	Ambala	360	1.8
2	Bhiwani	356	1.78
3	Hisar	356	1.78
4	Jhajjar	356	1.78
5	Mewat	356	1.78
6	Palwal	356	1.78
7	Rohtak	356	1.78
	Total	2496	12.48

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. किसान उपरोक्त हस्त चालित स्प्रे पम्प की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और भूमि सुधार विकास निगम/हरियाणा बीज विकास निगम/सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।